18/01/2022

# आदेश पत्रक

2022/66

( नियम 13 )

{General (Civil), Rule 103,Appendix 'B', Form No. 9}

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी ( झुन्झुनूं-राज. )

**बनाम**

बीरबल — किशन आदि

किस्म मुकदमा ~~निषेधाज्ञा~~ 152 CPC नम्बर 01/2022 सन्

| आदेश | कार्यवाही विवरण | अनुपालना के क्रमांक व दिनांक |
|---|---|---|
| 18/01/2022 | वादी बहादुर प्रसाद ने एक प्रार्थना पत्र 152 CPC बाबत अग्रिम डिक्री हुकम 14/9/2021 तथा प्रा0 246/2019 में संशोधन करने हेतु पेश किया। पत्र पत्र दर्ज रजिस्टर हो वादी का 152 CPC के बिन्दु पर सुना गया। वकील भरका करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाते है कि अग्रिम डिक्री हुकम 14.09.2021 के कथन प्रस्तुत, के कथन ही जारी किया गया है, जारी किया है कि अग्रिम डिक्री अग्रिम में कोई त्रुटि हो। लेकिन वादी डिक्री 152 CPC का साबित नहीं नहीं हो तथा पत्र पत्र 152 CPC का साबित किया जाना उचित है। तथा धारा से साबित किया जाना उचित है। तथा पत्र पत्र 152 CPC का साबित नहीं होने से वादी कमल कुमार साबित किया जाता है। वादी कमल कुमार को नोटिस दे कर व साबित दस्तक हो। आदेश | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.01.19 14:07:52 IST
Reason: SelfAttested